न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 56 / 2025
निर्णय दिनांक : 15.05.2025
GCMS NO : 2025/97

केशर सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोबासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.)

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिस्सु एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:<u>निर्णय</u>:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग–उपभोग के खेत खाता संख्या 27 के खसरा संख्या 634 / 118 तादादी 4.7418 हैक्टेयर व खसरा संख्या 806 / 344 तादादी 0.2662 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 5.0080 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 26 में अंकित खेत ख. नं. 345 तादादी 0.0758 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्थित है। जिसे प्रार्थना–पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थी का नाम केशरीसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम केसर सिंह पुत्र कल्याण सिंह है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम बोबासर बीदावतान में प्रार्थी का नाम केशरीसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी के दस्तावेजों में नाम केसरसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज है। केसरसिंह व केशरीसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी नाम केसरसिंह पुत्र कल्याणसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही तथा वास्तविक नाम केसर सिंह पुत्र कल्याण सिंह ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 27 के खसरा संख्या 634/118 तादादी 4.7418 हैक्टेयर व खसरा संख्या 806/344 तादादी 0.2662 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 5.0080 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 26 में अंकित खेत ख.नं. 345 तादादी 0.0758 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम बोबासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज प्रार्थी का नाम केशरीसिंह पुत्र कल्याणसिंह के स्थान पर केसरसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला– चूरू
सत्यमेव जयते

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

[illegible] शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)